

## CM approves the proposal of restructuring of Commercial Tax Department

### **Tax collection System to Become Easy Functioning of Commercial Tax Department Will Be Better**

Jaipur, September 24. Chief Minister Shri Ashok Gehlot has approved the proposal of restructuring of the Commercial Tax Department. The decision was taken looking at the changed scenario after the implementation of Goods and Service Tax (GST) and for better and effective implementation of GST in the State. The number of zones, regular circles and wards is being increased for a better administrative system. Along with this, the Appellate Authority Office has also been approved for the convenience of the taxpayers. The enforcement wing is being strengthened to stop tax evasion.

#### **Creation of 15 Additional Posts Approved**

Shri Gehlot has approved to create 15 additional posts of Rajasthan Commercial Tax Service and Rajasthan Commercial Tax (subordinate) Service. With this, the number of cadre in the department will increase to 1833.

#### **New Zone at Bhiwadi**

A new zone will be created at Bhiwadi for effective implementation of GST. With this, the number of administrative zones will become 16. Jaipur Zone – 4 and Jodhpur-2 will be made functional. The number of regular circles will be increased by one and a half times from 82 to 135. The number of regular wards will also increase to 320 from 296. With this, there will be ease for dealers in registration of complaints and assessment along with works related to revenue collection. After the introduction of GST, there is no relevance of special circles, works contracts and leasing tax, therefore these are being put to an end.

#### **Appellate Authority Office at Kota for the Convenience of Taxpayers**

For the convenience of taxpayers, Appellate Authority Office in the Kota zone has been approved. This will provide the facility for the taxpayers to appeal at the local level against the orders passed by the assessment officers. Business Intelligence Unit is being formed to strengthen the audit and anti-tax evasion work. Departmental officers will be included in this technically capable unit and this unit will effectively analyse the GSTN database and data on the e-way bill portal.

#### **A tri-level Audit Structure and Cyber cell will be constituted**

The Anti-Evasion Wing is being renamed as Enforcement Wing. Besides this, a cyber cell is being formed to identify the actual people involved in tax fraud. Along with, a tri-level audit structure will be made at the level of the state, zone and regular circle. Audit of big and complicated cases at the state and zone level can be ensured.

### **Taxpayer Care Unit for Redressal of Complaints of Taxpayers**

The Taxpayer Care Unit is being constituted for redressing the complaints of taxpayers who are honestly discharging their tax liability. Eligible CA and Tax Practitioners will be included in this unit. Besides this, Central Registration Unit will be made for dealers to ensure simple, easy and quick registration. The registration work will be done according to the Standard Operating Procedure (SOP).

### **State Tax Academy Will Be Made Ultramodern**

To make the State Tax Academy of Rajasthan (STAR) an ultramodern training institute, the changes taking place at present will be included and will be updated. Besides this, approval has been given to create necessary posts for the Authority for Advance Ruling and GST Appellate Tribunal's state bench in Jaipur and area bench in Jodhpur.

### **Department's Important Role in Tax Revenue Collection**

The Commercial Tax Department plays an important role in the tax revenue collection of the State Government. Its contribution is around 50% in the tax revenue of the State. The tax revenue target for the financial year 2021-22 is more than Rs 60,000 crore. At present, RGST Act-2017, Rajasthan VAT Act – 2003 and Rajasthan Electricity (Duty) Act -1962 are being implemented in the State by this department.

-----

**मुख्यमंत्री ने दी पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंजूरी**

**करदाताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान  
कर संग्रहण की व्यवस्था बनेगी सुगम**

**वाणिज्यिक कर विभाग की कार्यप्रणाली होगी बेहतर**

जयपुर, 24 सितम्बर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने गुड्स एवं सर्विस टैक्स (जीएसटी) के लागू होने के बाद बदले हुए परिदृश्य तथा राज्य में इसके बेहतर एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वाणिज्यिक कर विभाग के पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जोन, नियमित सर्किल एवं वार्डों की संख्या बढ़ाई जा रही है। साथ ही, करदाताओं की सुविधा के लिए अपीलीय प्राधिकारी कार्यालय भी स्वीकृत किए गए हैं। कर अपवंचन रोकने के लिए एन्फोर्समेंट विंग को मजबूत किया जा रहा है।

**15 अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी**

श्री गहलोत ने राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा और राजस्थान वाणिज्यिक कर (अधीनस्थ) सेवा के 15 अतिरिक्त पद सृजित करने की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से विभाग के कैंडिड की संख्या बढ़कर 1833 हो जाएगी।

**भिवाड़ी में बनेगा नया जोन**

राज्य में जीएसटी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भिवाड़ी में नया जोन बनाया जाएगा। इससे प्रशासनिक जोन की संख्या 16 हो जाएगी। जोन जयपुर-4 और जोधपुर-2 को कार्यात्मक बनाया जाएगा। नियमित सर्किल की संख्या डेढ़ गुना तक बढ़ाकर 82 से 135 की जाएगी। नियमित वार्डों की संख्या भी 296 से 320 की जाएगी। इससे डीलर्स की शिकायतों के पंजीकरण एवं मूल्यांकन के साथ ही राजस्व संग्रहण से जुड़े कार्यों में भी सुगमता आएगी। जीएसटी की शुरुआत के बाद विशेष सर्किल, वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट्स एवं लीजिंग टैक्स की प्रासंगिकता नहीं रही है, इसलिए उन्हें समाप्त किया जा रहा है।

**करदाताओं की सुविधा के लिए कोटा में अपीलीय प्राधिकारी कार्यालय**

करदाताओं की सुविधा के लिए कोटा जोन में अपीलीय प्राधिकारी का कार्यालय स्वीकृत किया गया है। इससे करदाताओं को कर मूल्यांकन अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध स्थानीय स्तर पर ही अपील करने की सुविधा मिल सकेगी। ऑडिट एवं एंटी इवेजन कार्य के सुदृढीकरण के लिए बिजनेस इंटेलीजेंस यूनिट का गठन किया जा रहा है। तकनीक रूप से सक्षम इस यूनिट में विभागीय अधिकारी भी शामिल होंगे और यह यूनिट जीएसटीएन डेटाबेस एवं ई-वे बिल पोर्टल के डेटा का प्रभावी विश्लेषण करेगी।

### **त्रिस्तरीय ऑडिट स्ट्रक्चर बनेगा एवं साइबर सेल गठित होगी**

एंटी इवेजन विंग का नाम बदलकर एन्फोर्समेंट विंग किया जा रहा है। साथ ही, कर धोखाधड़ी गतिविधियों में लिप्त वास्तविक व्यक्तियों की पहचान करने के लिए एक साइबर सेल गठित की जा रही है। साथ ही, राज्य, जोन एवं नियमित वृत्त स्तर पर त्रिस्तरीय ऑडिट स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। राज्य और जोनल स्तर पर बड़े और जटिल मामलों की ऑडिट सुनिश्चित होगी।

### **करदाताओं की शिकायतों के समाधान के लिए टैक्सपेयर केयर यूनिट**

ईमानदारी से अपने कर दायित्व का निर्वहन करने वाले करदाताओं की शिकायतों के समाधान के लिए टैक्सपेयर केयर यूनिट गठित की जा रही है। इसमें योग्य सीए एवं कर व्यवसायी शामिल होंगे। साथ ही, डीलरों के लिए सरल, आसान और त्वरित पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए सेंट्रल रजिस्ट्रेशन यूनिट बनाई जाएगी। पंजीकरण का कार्य मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार किया जाएगा।

### **राज्य कर अकादमी बनेगी अत्याधुनिक**

राजस्थान राज्य कर अकादमी (स्टार) को अत्याधुनिक प्रशिक्षण संस्थान बनाने के लिए इसमें वर्तमान में हो रहे बदलाव को शामिल करते हुए अद्यतन किया जाएगा। साथ ही, ऑथोरिटी फॉर एडवांस रूलिंग एवं जीएसटी अपीलिय ट्रिब्यूनल की जयपुर में स्टेट बेंच और जोधपुर में एरिया बेंच के लिए आवश्यक पदों को सृजित करने की मंजूरी दी गई है।

### **कर राजस्व संग्रहण में विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण**

राज्य सरकार के कर राजस्व संग्रहण में वाणिज्यिक कर विभाग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। राज्य के कर राजस्व में इसका योगदान लगभग 50 प्रतिशत तक है। वित्त वर्ष 2021-22 में कर राजस्व लक्ष्य 60 हजार करोड़ रुपए से अधिक का है। वर्तमान में इस विभाग द्वारा राज्य में आरजीएसटी एक्ट-2017, राजस्थान वैट एक्ट-2003 तथा राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) एक्ट-1962 का क्रियान्वयन किया जाता है।